

पत्रांक— 11 नोविं 2014 अभिन्न(को) 154 / 2014 २२३ नोविं एवं आठविं
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कटिहार।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मनिहारी,
कटिहार।

पटना, दिनांक—२२/६/१८

विषय:— ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2017-18 के ग्रुप सं0-09 के कार्य नगर पंचायत मनिहारी अंतर्गत वार्ड नं0-07 में किशन यादव के घर से महेश लाल यादव के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के आवंटन के सम्बन्ध में।
(ग्रुप सं0-09)

प्रसंग:— कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार का पत्रांक—212(अनु0), दिनांक—29.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र से ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2017-18 के ग्रुप सं0-09 के कार्य नगर पंचायत मनिहारी अंतर्गत वार्ड नं0-07 में किशन यादव के घर से महेश लाल यादव के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य हेतु मान्य एवं न्यूनतम दर दाता निविदाकार राजेश शर्मा, पिता— श्री कमल शर्मा, ग्राम— मिशन हाउस, पो0+थाना—मनिहारी, जिला—कटिहार को यह कार्य उनके द्वारा उद्भूत दर परिमाण विपत्र की राशि ₹0 603581/- (रूपया छ: लाख तीन हजार पाँच सौ इक्यासी) मात्र से 10% (दस प्रतिशत) कम दर पर जिसकी कुल राशि ₹0 543222/- (रूपया पाँच लाख तैतालिस हजार दो सौ बाईस) ₹0 मात्र है पर आवंटित किया जाता है।

कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजात से संतुष्ट होने के उपरान्त एकरारनामा करेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मनिहारी, कटिहार सभी कागजात का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्भूत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 01 (एक) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप त्रै दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराया जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री-लेवेल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा की गणना सही ढंग से की जा सके।
9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
10. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
11. निर्माण कार्य में लगने वाले स्ट्रक्चरल स्टील Tata या SAIL Make का होना चाहिए।
12. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
13. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
14. सुगम जल निकासी हेतु नाला निर्माण में प्रारंभिक बिन्दु से निकासी बिन्दु तक लेखेल लेकर नाला का स्लोप निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे।
15. कार्य स्थल पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
16. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी में अग्रतर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु०:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा
अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

अमृता, 22.6.18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
✓ बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22/6/18

ज्ञापांक— 11 न०वि० अभि०(को०) 154 / 2014 7/3/

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आपत सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ।

अमृता, 22.6.18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
✓ बिहार, पटना।